कार्यालय कलेक्टर जिला शिवपुरी (म.प्र.)

क्रमांक/ नजूल/2023-24/549 शिवपुरी दिनांक 28/04/2023

प्रति

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी
मध्यप्रदेश

विषय:- स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोसेस प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित 1436.19 हे वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु शासकीय राजस्व भूमि उपलब्ध कराने बावत्।

संदर्भ:- 1. स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोसेस प्राइवेट लिमिटेड का पत्र क्रमांक एस.एम.आर.पी.एल./2022/149 दिनांक 15.07.2022 |

2. कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल शिवपुरी म.प्र. का पत्र क्रमांक / डी.एम / 2023 / 1116 / शिवपुरी दिनांक 15.03.2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में लेख है कि स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोसेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 है. वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु शासकीय राजस्व भूमि उपलब्ध कराने हेतु आवेदन दिनांक 15.07.2022 को प्रस्तुत किया है। आवेदित भूमियों के संबंध में संबंधित तहसीलदार कोलारस, बैराड एवं नायब तहसील वृत्त सुभाषपुरा तहसील शिवपुरी से जांच प्रतिवेदन लिया गया एवं आपके संदर्भित पत्र दिनांक 15.03.2023 के द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। संबन्धित तहसीलदारों से प्राप्त जानकारी अनुसार एवं आपके संदर्भित पत्र अनुसार निम्नानुसार भूमियों वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए उपलब्ध है:-

क्र.	जिला	तहसील	वन परिक्षेत्र	ग्राम	खसरा नंबर	कुल रकबा है.	चयनित रकबा है.	खसरो का मद	वन सीमा से दूरी
1	शिवपुरी	बैराड़	पोहरी	रघुनाथपुरा	4	16.98	2.98	पहाड़	वनकक्ष क्रमांक पी.एफ. 710 से लगी हुई है।
2	शिवपुरी	बैराड़	पोहरी		6/1	7.60	2.98	पहाड़	
3	शिवपुरी	बैराड़	पोहरी		3	10.41	6.00	चरागाह	
4	शिवपुरी	शिवपुरी	सतनवाड़ा	डोंगरी	50	6.00	6.00	का.का	वनकक्ष क्रमांक पी. एफ. 1273 एवं पी. एफ 572 एवं आर एफ 491 से लगी हुई है
5	शिवपुरी	शिवपुरी	सतनवाड़ा	डोंगरी	51	6.00	6.00	का.का	
6	शिवपुरी	शिवपुरी	सतनवाड़ा	डोंगरी	52	6.00	6.00	का.का	
7	शिवपुरी	शिवपुरी	सतनवाड़ा	डोंगरी	53	6.00	6.00	का.का	
8	शिवपुरी	शिबपुरी	सतनवाड़ा	डोंगरी	54	6.00	6.00	का.का	
9	शिवपुरी	शिवपुरी	सतनवाड़ा	डोंगरी	55	6.00	6.00	का.का	
10	शिवपुरी	शिवपुरी	सतनवाड़ा	डोंगरी	177	23.78	21.20	का.का	
11	शिवपुरी	शिवपुरी	सतनवाड़ा	डोंगरी	181	4.00	3.64	बीड	
12	शिवपुरी	शिवपुरी	सतनवाड़ा	डोंगरी	198	31.85	17.60	जंगल खुर्द	

13	शिवपुरी	शिवपुरी	सतनवाड़ा	झिरनिया	3	12.78	7.75	पड़ती	वनकक्ष क्रमांक पी. एफ. 570 एवं पी एफ .571 एवं आरएफ 489 से लगी हुई है
14	शिवपुरी	कोलारस	कोलारस	कुदोनिया माफी	95	61.65	47.67	पहाड़	वनकक्ष क्रमांक पी. एफ. 1178 से लगी हुई है
कुल रकबा						**205.05**	**145.82**		

स्ट्राटाटेक मिनरल रिर्सोसेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, आदेश क्रमांक एफ 6-101 / 2019 / साल-3, दिनांक 05.01.2021 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत शिवपुरी जिले में प्रस्तावित 145.82 हे. शासकीय राजस्व भूमियों को धिरौली कोल ब्लॉक से प्रभावित 1436.19 हे वनभूमि के व्यपवर्तन प्रकरण में (स्टेज-1) की अनुमति उपरांत वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित / आवंटित की जा सकती हैं।

(रवीन्द्र कुमार चौधरी)
कलेक्टर
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

क्रमांक/ नजूल/2023-24/550
प्रतिलिपि:-

शिवपुरी दिनांक 28/04/2021

1. प्राधिकृत अधिकारी, स्ट्राटाटेक मिनरल रिर्सोसेस प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।।

कलेक्टर
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर जिला शिवपुरी (म.प्र.)

क्रमांक/नजूल/2022-23/ 2560 शिवपुरी दिनांक 18/8/2022

प्रति

तहसीलदार
शिवपुरी,बैराड ,पोहरी,करैरा
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

विषय:- स्ट्राटाटेक मिनरल रिसौर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद(गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित 1436.19 हे. वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु शासकीय राजस्व भूमि उपलब्ध कराने बाबत ।

संदर्भ :-प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसौर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद(गुजरात) का पत्र क्रमांक 149 दिनांक 15/07/2022 ।

उपरोक्त विषयातंर्गत लेख है कि, स्ट्राटाटेक मिनरल रिसौर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद(गुजरात) को कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा धिरौली कोल ब्लॉक आवंटित किया गया है , जिसके अंतर्गत प्रभावित वन भूमि रकबा 1436.19 हे. की छतिपूर्ति हेतु वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए वन विभाग के दिशा निर्देश अनुसार समतुल्य अतिक्रमण मुक्त शासकीय राजस्व भूमि की पहचान कर जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया गया है, आवेदन के साथ चिन्हित की गयी शासकीय भूमि की सूची संलग्न की गयी है , सूची संलग्न है।

अतः आप सूची में वर्णित भूमियों के संबंध में जांच कर प्रतिवेदन अपने अभिमत सहित 03 दिवस के भीतर इस कार्यालय में आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करे ।

संलग्नः- सूची ।

डिप्टी कलेक्टर
जिला शिवपुरी (म.प्र.)
शिवपुरी दिनांक 18/8/2022

क्रमांक/नजूल/2022-23/ 2560
प्रतिलिपि:-

1. वन मण्डल अधिकारी वनमण्डल शिवपुरी(म.प्र.) की ओर सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) समस्त जिला शिवपुरी(म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3. तहसीलदार कोलारस, बदरवास, रन्नौद, खनियाधाना, पिछोर, नरवर की ओर भेजकर लेख है कि, उक्त प्रयोजन हेतु आपकी तहसील क्षेत्र अंतर्गत यदि शासकीय भूमि उपलब्ध हो तो जानकारी अपने अभिमत सहित 03 दिवस के भीतर इस कार्यालय में आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करे ।
4. प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसौर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद(गुजरात) की ओर भेजकर लेख है कि उक्त के संबंध में तहसीलदारों से संपर्क स्थापित कर जानकारी भिजवाये ।

डिप्टी कलेक्टर
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय नायब तहसीलदार,वृत्त सुभाषपुरा तहसील व जिला शिवपुरी

दिनांक 07/10/2022

क्र /री /2022/ 178

प्रति,

श्रीमान कलेक्टर महोदय,

जिला - शिवपुरी,

विषय- स्टाटाटेक मिनरल रिसौसेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद(गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित 1436.19 हे.

संदर्भ- प्राधिकृत अधिकारी स्टाटाटेक मिनरल रिसौसेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद(गुजरात) का पत्र क्रमांक 149 दिनांक

सदर्भ- कार्यालय कलेक्टर जिला शिवपुरी(म.प्र.) का पत्र क्र./नजूल/2022-23/2560 दिनांक- 18/08/2022।

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि कार्यालय कलेक्टर जिला शिवपुरी(म.प्र.) का पत्र क्र./नजूल/2022-23/2560 दिनांक- 18/08/2022 दवारा स्टाटाटेक मिनरल रिसौसेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद(गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित 1436.19 हे. वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु ग्राम- झिरनिया, डोंगरी, झोंपडी की समतुल्य अतिक्रमण मुक्त शासकीय राजस्व भूमि की पहचान कर चिन्हित की गई जिसके संबंध में जांच कर अपने अभिमत के साथ प्रतिवेदन चाहा गया है । संदर्भित पत्र के साथ संलग्न चिन्हित की गई शासकीय भूमि के संबंध में राजस्व निरीक्षक व पटवारी ग्राम से जांच कराई गई। राजस्व निरीक्षक द्वारा जांच कर प्रतिवेदन पेश किया गया। जो निम्नानुसार है-

ग्राम का नाम	भूमि सर्वे क्रमांक	रकबा	नौइयत	अभिमत	रिमार्क
झिरनिया	2	67.71	शासकीय पडती	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दिया जा सकता है।	—
झिरनिया	3	12.78	शासकीय पडती	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दिया जा सकता है।	—
झिरनिया	5	18.4	शासकीय पहाड	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दिया जा सकता है।	—
झिरनिया	6	20.71	शासकीय पडती	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दिया जा सकता है।	—
झिरनिया	40/2	145.57	शासकीय पडती	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दिया जा सकता है।	
	कुल-	265.17			
डोंगरी	197	54.64	शासकीय पहाड	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दिया जा सकता है।	
डोंगरी	198	31.85	शासकीय बीड	दिया जाना उचित नही है ।	श्रीमान कलेक्टर महोदय के प्र.क्र.38/अ-59/2001-0202 आ.दि. 20/03/2002 दवारा बीड से जंगलखर्द घोषित किया गया ।
डोंगरी	199	12	शासकीय का. का.	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दिया जा सकता है।	—
डोंगरी	200	23.1	शासकीय का. का.	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दिया जा सकता है।	—
डोंगरी	201	5.7	शासकीय भूदान	दिया जाना उचित नही है ।	पुराने भूदान के पट्टे हो सकते है ।
डोंगरी	202	9.2	शासकीय भूदान	दिया जाना उचित नही है ।	पुराने भूदान के पट्टे हो सकते है ।
डोंगरी	203	12	शासकीय का. का.	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दिया जा सकता है।	—
डोंगरी	204	13.65	शासकीय बीड	दिया जाना उचित नही है ।	भूमि निजी सर्वे क्रमाको से लगा होने के कारण नही दी जा सकती।
डोंगरी	205	7	शासकीय का. का.	दिया जाना उचित नही है ।	भूमि निजी सर्वे क्रमाको से लगा होने के कारण नही दी जा सकती।
डोंगरी	206	1.35	शासकीय का. का.	दिया जाना उचित नही है ।	भूमि निजी सर्वे क्रमाको से लगा होने के कारण नही दी जा सकती।
डोंगरी	208	6	शासकीय का. का.	दिया जाना उचित नही है ।	भूमि निजी सर्वे क्रमाको से लगा होने के कारण नही दी जा सकती।
डोंगरी	209	6.2	शासकीय का. का.	दिया जाना उचित नही है ।	भूमि निजी सर्वे क्रमाको से लगा होने के कारण नही दी जा सकती।
डोंगरी	210	12.54	शासकीय का. का.	दिया जाना उचित नही है ।	भूमि निजी सर्वे क्रमाको से लगा होने के कारण नही दी जा सकती।
डोंगरी	211	1	शासकीय भूदान	दिया जाना. उचित नही है ।	पुराने भूदान के पट्टे हो सकते है ।
डोंगरी	188	0.85	शासकीय का. का.	दिया जाना उचित नही है ।	भूमि निजी सर्वे क्रमाको से लगा होने के कारण नही दी जा सकती।
डोंगरी	189	3.3	शासकीय बीड	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दिया जा सकता है।	—
डोंगरी	30	4.6	शासकीय बीड	दिया जाना उचित नही है ।	भूमि निजी सर्वे क्रमाको से लगा होने के कारण नही दी जा सकती।
डोंगरी	31	4.57	शासकीय का. का.	दिया जाना उचित नही है ।	भूमि निजी सर्वे क्रमाको से लगा होने के कारण नही दी जा सकती।
डोंगरी	182	5	शासकीय का. का.	दिया जाना उचित नही है ।	भूमि निजी सर्वे क्रमाको से लगा होने के कारण नही दी जा सकती।
डोंगरी	196	16.05	शासकीय का. का.	दिया जाना उचित नही है ।	भूमि निजी सर्वे क्रमांको से लगा होने के कारण नही दी जा सकती।

डोंगरी	181	4	शासकीय बीड	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दिया जा सकता है।	—
डोंगरी	213	18.15	शासकीय का. का.	दिया जाना उचित नही है ।	भूमि निजी सर्वे क्रमांको से लगा होने के कारण नही दी जा
डोंगरी	32	17.4	शासकीय बीड	दिया जाना उचित नही है ।	भूमि निजी सर्वे क्रमांको से लगा होने के कारण नही दी जा स
डोंगरी	45	36	शासकीय बीड	दिया जाना उचित नही है ।	भूमि निजी सर्वे क्रमांको से लगा होने के कारण नही दी जा सकती
डोंगरी	46	14	शासकीय का. का.	दिया जाना उचित नही है ।	भूमि निजी सर्वे क्रमांको से लगा होने के कारण नही दी जा सकती।
डोंगरी	48	13.37	शासकीय चारागाह	दिया जाना उचित नही है ।	चरनोई के लिये आरक्षित है
डोंगरी	49	40.16	शासकीय चारागाह	दिया जाना उचित नही है ।	चरनोई के लिये आरक्षित है
डोंगरी	50	6	शासकीय का. का.	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दिया जा सकता है।	—
डोंगरी	51	6	शासकीय का. का.	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दिया जा सकता है।	—
डोंगरी	52	6	शासकीय का. का.	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दिया जा सकता है।	—
डोंगरी	53	6	शासकीय का. का.	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दिया जा सकता है।	—
डोंगरी	54	6	शासकीय का. का.	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दिया जा सकता है।	—
डोंगरी	55	6	शासकीय का. का.	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दिया जा सकता है।	—
डोंगरी	56	6	शासकीय पीएचई	दिया जाना उचित नही है ।	पीएचई शिवपुरी के लिए आरक्षित है।
डोंगरी	424	26.17	शासकीय का. का.	दिया जाना उचित नही है ।	भूमि निजी सर्वे क्रमांको से लगा होने के कारण नही दी जा सकती।
डोंगरी	78	14.37	शासकीय का. का.	दिया जाना उचित नही है ।	भूमि निजी सर्वे क्रमांको से लगा होने के कारण नही दी जा सकती।
डोंगरी	177	23.78	शासकीय का. का.	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दिया जा सकता है।	—
	कुल-	480			
झोपडी	331	14.58	शासकीय भूदान	दिया जाना उचित नही है ।	पुराने भूदान के पट्टे हो सकते है ।
झोपडी	332	27.76	शासकीय भूदान	दिया जाना उचित नही है ।	पुराने भूदान के पट्टे हो सकते है ।
झोपडी	333	10.82	शासकीय भूदान	दिया जाना उचित नही है ।	पुराने भूदान के पट्टे हो सकते है ।
झोपडी	337	22.32	शासकीय भूदान	दिया जाना उचित नही है ।	पुराने भूदान के पट्टे हो सकते है ।
झोपडी	335	17.98	शासकीय भूदान	दिया जाना उचित नही है ।	पुराने भूदान के पट्टे हो सकते है ।
झोपडी	342	20.35	शासकीय भूदान	दिया जाना उचित नही है ।	पुराने भूदान के पट्टे हो सकते है ।
झोपडी	348/10	0.04	शासकीय	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दिया जा सकता है।	—
	कुल-	113.85			

प्रतिवेदन श्रीमान की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतू प्रेषित है ।

संलग्न:- राजस्व निरीक्षक रिपोर्ट।

नायब तहसीलदार
वृत्त- सुभाषपरा तहसील व जिला शिवपुरी

पृष्ठ क्र.178 /क्र./री./2022

दिनांक- 07/10/2022

प्रतिलिपि

1. वनमण्डल अधिकारी वनमण्डल तहसील व जिला शिवपुरी की ओर सादर सूचनार्थ।

नायब तहसीलदार
वृत्त- सुभाषपरा तहसील व जिला शिवपुरी

कार्यालय तहसीलदार, तहसील बैराड़, जिला–शिवपुरी (म0प्र0)

क्रमांक /री0तह0/2022/1737 बैराड़, दिनांक 30/08/2022

प्रति,

श्रीमान कलेक्टर महोदय,
जिला–शिवपुरी (म0प्र0)

विषय :– स्ट्राटाटेक मिनरल रिर्सोसेस प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित 1436.19 हे0 वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु शासकीय राजस्व भूमि उपलब्ध कराने बाबत्।

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक/नजूल/2022–23/2560 शिवपुरी दिनांक 18/08/2022।

उपरोक्त विषयांतर्गत अनुरोध है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रस्तावित भूमि खसरा नंबर के संबंध में ग्रामवार पटवारियों से मौका जांच पंचनामा लिया गया। जिसके अनुसार निम्नानुसार भूमियां वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए पृथक से प्रकरण तैयार कर आबंटित करने हेतु ग्रामवार उपलब्ध खसरे निम्नानुसार है :–

क्र0	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा हे0मे0	वृक्षा रोपण हेतु मौके पर उपलब्ध रकबा हे0मे0	खसरो का मद
1	मारौराखालसा	756	64.03	62.03	पहाड़
2	मारौराखालसा	750/2	54.29	54.29	पहाड़
3	मारौराखालसा	751	7.1	7.1	पहाड़
4	मारौराखालसा	753	10.6	10.6	पहाड़
5	मारौराखालसा	755	23.06	23.06	पहाड़
5	मारौराखालसा	757	22.81	22.81	चारागाह
6	रसेरा	984	172.18	159.18	पहाड़
7	रसेरा	1043	0.71	0.71	पहाड़
8	रसेरा	1044	56	56	पहाड़
9	रसेरा	980	4.72	4.72	पहाड़
10	रसेरा	981	24.94	24.94	पहाड़
11	रसेरा	987	2.8	2.8	पहाड़
कुल योग			443.24	428.24	

तहसीलदार
तहसील बैराड़ जिला शिवपुरी (म0प्र0)

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

अतः प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन श्रीमान जी की ओर सादर प्रेषित है ।

तहसीलदार
बैराड़

तहसीलदार
तहसील-बैराड़ जिला शिवपुरी (म0प्र0)

पृष्ठांकन :–

क्रमांक /री0तह0/2022/1738 बैराड़ दिनांक 29/08/2022

प्रतिलिपि :– 1. श्रीमान वनपरिक्षेत्र अधिकारी पोहरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

2. प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिर्सोसेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर सूचनार्थ।

तहसीलदार
बैराड़

तहसीलदार
तहसील-बैराड़ जिला शिवपुरी (म0प्र0)

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

प्रति,

श्रीमान तहसीलदार महोदय
तहसील बैराड़ जिला शिवपुरी

विषय :- स्ट्राटेक मिनरल रिसोर्सेज प्रा. लि. अहमदाबाद को आवंटित धिर्यौली कोल ब्लॉक मे प्रभावित 1436 हे॰ वन भूमि के एवज मे वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु शासकीय राजस्व भूमि उपलब्ध कराने बाबत।

संदर्भ :- कार्यालय कलेक्टर जिला शिवपुरी का पत्र क्र. 2560 दिनांक 18/08/22

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत ग्राम-मारोरयखालसा, स्थित भूमि में सर्वे नं. 756, 750/2, 751, 753, ~~7555~~ 755, 757 रकबा क्रमशः 64.03, 54.29, 7.1, 10.6, 23.06 एवं 22.81 है. है। जिसमें सर्वे क्र. 756 का कुल रकबा 64.03 हे॰ मे से वर्तमान में 2 हे. भूमि मे अतिक्रमण पाया गया है एवं शेष 62.03 हे. भूमि मौके पर खाली है। उक्त भूमि मे से सर्वे क्र. 757 रकबा 22.81 हे. चारागाह (चरनोई) शासकीय मद मे अंकित है एवं शेष भूमि पहाड़ मद (शासकीय) अंकित है उक्त भूमि वन विभाग से लगी हुई नहीं है जिसमें वृक्षारोपण किया जा सकता है। निम्न जानकारी निम्नानुसार है-

(1) उक्त भूमि अन्य प्रयोजन हेतु वर्तमान में उपयोगी नहीं है
(2) प्रस्तावित भूमि ~~पर~~ मौके पर खाली है।
(3) उक्त भूमि वन भूमि से लगी हुई नहीं है
(4) उक्त भूमि मे सर्वे क्र. 757 रकबा 22.81 हे. चरनोई है जिसे अन्य प्रयोजन मे उपयोग करते है तो चरनोई के लिये निर्धारित ग्राम की कुल भूमि के 2 प्रतिशत से कम भूमि चरनोई शेष रह जायेगी।

अतः रिपोर्ट श्रीमान जी की ओर सादर प्रस्तुत है

संलग्न :- मौका पंचनामा।

अमित गुप्ता (पटवारी)
प. ह. न. 141-मारोरयखालसा
तहसील बैराड़ जिला शिवपुरी (म.प्र.)

Scanned with OKEN Scanner

पंचनामा

पंचनामा लिख दिया हम ग्राम मारोशरवालसा वालो ने यह कि आज दिनांक 24/08/22 को ग्राम में स्ट्राटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम के कर्मचारी, ग्राम पटवारी एवं ~~कि~~ वन विभाग के कर्मचारी ने संयुक्त जाँच कि जिसमे ग्राम मारोशरवालसा के सर्वे क्र. 756 का कुल रकबा 64.03 जिसमे से 2 हे. मे अतिक्रमण है बाकी शेष भूमि खाली है ~~सर्वे~~ क्र. 750/2, 751, 753, 755 रकबा क्रमशः 54.29, 7.1, 10.6, 23.06 जोकी पहाड मे मद मे दर्ज है एवं 757 सर्वे नं. रकबा 22.81 हे. चारागाह मद के दर्ज है. ग्राम मारोशरवालसा कि उक्त भूमि वन भूमि से लगी हुई नही है।

किया जा सकता है। जिसमे वृक्षारोपण।

(हस्ताक्षर) PK-141

1. सौकिन खान – सोकिन खांन
2. सतिश प्रजापति – (अंगूठा निशान)

(हस्ताक्षर) प-ह-न-141

विनोद

(हस्ताक्षर) प्रमकुमार चतुर्वेदी पं.स. खेवाड़(डग) 24/08/2022

(हस्ताक्षर) वनरक्षक बीट ...

(हस्ताक्षर) 24/08/22

Avinash 24/08/22

(हस्ताक्षर) 24/08/22

(हस्ताक्षर) प्रो.सा. ... 24.08.2022

Sushil (हस्ताक्षर) व.प. ...

कार्यालय तहसीलदार, तहसील कोलारस, जिला–शिवपुरी (म0प्र0)

क्रमांक 317 / री0तह0 / 2022 कोलारस, दिनांक 29 / 09 / 2022

प्रति,

श्रीमान कलेक्टर महोदय,
जिला–शिवपुरी (म0प्र0)

विषय :– स्ट्राटाटेक मिनरल रिर्सोसेस प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित 1436.19 हे0 वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु शासकीय राजस्व भूमि उपलब्ध कराने बाबत्।

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक / नजूल / 2022–23 / 2560 शिवपुरी दिनांक 18 / 08 / 2022।

उपरोक्त विषयांतर्गत अनुरोध है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रस्तावित भूमि खसरा नंबर के संबंध में ग्रामवार पटवारियों से मौका जांच पंचनामा लिया गया। जिसके अनुसार निम्नानुसार भूमियां वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए पृथक से प्रकरण तैयार कर आबंटित करने हेतु ग्रामवार उपलब्ध खसरे निम्नानुसार है :–

क्र0	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा हे0मे0	वृक्षा रोपण हेतु मौके पर उपलब्ध रकबा हे0मे0	खसरो का मद	विवरण
1	उपरवास	165	37.60	27.60	पठार	वन से लगी हुई है
2	कुदौनियामाफी	95	61.65	47.674	पहाड़	वन से लगी हुई है
3	डेहरवारा	11/2/3	17.50	17.50 हे. वर्तमान में शासकीय मद गैरमुमकिन दर्ज है। मौके पर उक्त नम्बर में रकवा 6.00 हे.पर अतिक्रमण पाया गया। शेष भूमि रिक्त है	गैरमुमकिन	वन से लगी हुई है
4		11/2/4	43.33	43.33 हे. वर्तमान में शासकीय दर्ज है। जिसमें से रकवा 20.00 हे.का.का.घोषित किया गया है। मोके पर उक्त नम्बर में रकवा 10.हे. पर अतिक्रमण पाया गया शेष भूमि रिक्त है।	चारागाह,का.का.	वन से लगी हुई है

नायब तहसीलदार
तहसील कोलारस
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

Scanned with OKEN Scanner

5	पडोरा डांग	206/1	5.72	5.72 हे. पूर्व से ही चारागाह के लिये आवंटित हैजिसमें पशु चरते हैं जो कि ग्राम वासियों के हित में उचित प्रतीत होता है।	चारागाह, गैरमुमकिन	वन से लगी हुई है
		206/2	10.00	10.00 हे. में से 3.00 हे. भाग पर स्थाई या अस्थाई अतिक्रमण का विषय रहा है।यह पनिहारी को जाने वाली प्रधानमंत्री सडक योजना की डामर रोड. से संलग्न है एवं अन्य चरनोई के लिए अरक्षित सर्वे नम्बर 206/1 रकबा 5.72 हे. के लिए आने जाने का मार्ग इसी सर्वे नम्बर से होकर जाता है।भविष्य में अन्य कोई शासकीय निर्माण भी रोड से सटे होने के कारण उक्त सर्वे नम्बर में ही संभव है। अतैव उपयुक्त सर्वे नम्बर बन विभाग को आवंटित होने के पश्चात सर्वे नम्बर 206/1 के लिए रास्ता अवरूद्ध होने का समस्या भी आएगी।	चारागाह, गैरमुमकिन	वन से लगी हुई है
कुल योग			175.8	100.144		

अतः प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन श्रीमान जी की ओर सादर प्रेषित है ।

तहसीलदार
कोलारस

नायब तहसीलदार
तहसील कोलारस
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

पृष्ठांकन :–
क्रमांक /री0तह0/2022 कोलारस दिनांक, /09/2022

प्रतिलिपि :– 1. श्रीमान वनपरिक्षेत्र अधिकारी कोलारस की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

2. प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिर्सोसेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर सूचनार्थ।

तहसीलदार
कोलारस

नायब तहसीलदार
तहसील कोलारस
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

Scanned with OKEN Scanner

प्रति,

श्रीमान तहसीलदार महोदय
तहसील- कोलारस
जिला - शिवपुरी

विषय:- स्ट्राटेक मिनरल रिसोर्सिज प्रा. लि. अहमदाबाद को आबंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित 1436 हे. वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु शासकीय भूमि उपलब्ध कराने बावत्।

संदर्भ:- कार्यालय कलेक्टर जिला -शिवपुरी का पत्र क्र. 2560 दि. 18/08/2022

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत ग्राम- कुदौनियामाफी प. ह. न 119 मकरारा के ग्राम कुदौनियामाफी स्थित सर्वे क्र. 95 रकवा 61.650 हे. में से वर्तमान मे 6 हे. भूमि मे अतिक्रमण पाया गया है शेष भूमि मौके पर खाली है। उपरोक्त सर्वे क्र. 95 रकवा 61.650 हे. पहाड़ मद में दर्ज है। जो कि कंपनी द्वारा 47.674 हे. भूमि की मांग की गई है उक्त भूमि वन भूमि से लगी हुई है. वर्तमान मे मौके पर खाली है। जिसमे वृक्षारोपण किया जा सकता है। अन्य जानकारी निम्नानुसार है—

(1) उक्त भूमि अन्य प्रयोजन हेतु वर्तमान में उपयोगी है - नहीं
(2) क्या प्रस्तावित भूमि मौके पर खाली है। हाँ
(3) क्या उक्त भूमि वन भूमि से लगी है। हाँ
(4) प्रस्तावित भूमि क्या ग्राम में आबादी चारागाह हेतु सुरक्षित रखने के पश्चात अतिरिक्त है। हाँ

अत: यह रिपोर्ट श्रीमान जी की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न :- मौका पंचनामा

22/09/2022
पूनम सैन
प. ह. नं. 119
तहसील कोलारस

पवा-1

पंचनामा

पंचनामा लिख दिया हम ग्राम पंचान कुदौनियामाफी प.ह.न. 119 वालों ने कि आज दिनांक 22/09/2022 को ग्राम में स्ट्राटेक मिनरल्स रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी एवं ग्राम पटवारी ने जाँच की जिसमें ग्राम कुदौनियामाफी के सर्वे क्र. 95 रकवा 61.650 हे. में से 6 हे. में अतिक्रमण पाया गया है। शेष 47.674 हे. भूमि खाली है जो कि पहाड़ के मद में है एवं वृक्षारोपण किया जा सकता है। यह भूमि वन भूमि से लगी हुई है एवं सर्वे नं. 95 में से खेतों के लिए आम रास्ता गया है जो नक्शे में दर्ज नहीं है परंतु ग्रामीणों द्वारा कई वर्षों से उपयोग कर रहे हैं। ग्रामवासियों को वृक्षारोपण से कोई आपत्ति नहीं है।

Pawan Kumar

रामकुमार बैरागी

दौलतराम (कोटवार)

लाखन

विष्णु